कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा।

आम सूचना

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-232/पी.एस.Cell, दिनांक 01.06.2018, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-SATH/BCG/21/18-266, दिनांक 18.06.2018 के आलोक में दिनांक 26.09.2018 को सम्पन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार गठित कोषांग द्वारा युक्तिकरण के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में कार्यरत अतिरेक(SURPLUS) प्रखण्डवार शिक्षकों के युक्तिकरण की सूची कोषांग द्वारा तैयार की गई। शिक्षकों के पदस्थापन में विसंगति न हो, उक्त के आलोक में दिनांक 29.09.2018 को प्रखण्ड गोड्डा, पोड़ैयाहाट एवं बसंतराय के युक्तिकरण के तहत अतिरेक (SURPLUS) शिक्षक/शिक्षिकाओं को अधीक्षा(काउंसिलिंग) के आधार पर पदस्थापन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के सभागार में गठित कोषांग द्वारा निम्नांकित समयानुसार उपस्थित होना अनिवार्य है। समय सार निम्नवत् है-

क्रमांक	प्रखण्ड	तिथि	समय
01	गोड्डा	29.09.2018	पूर्वाह्न 10:00 से मध्याह्न 12:00 बजे तक
02	पोड़ैयाहाट	29.09.2018	मध्याह्न 12:00 से अपराह्न 02:00 बजे तक
03	बसंतराय	29.09.2018	अपराह्न 03:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक

सूची में अंकित वरीयता के अनुसार ससमय उपस्थित नहीं होनेवाले शिक्षक की वरीयता को समाप्त करते हुए रिक्ति के आधार पर जिला के रिक्ति के अनुसार पदस्थापित कर दिया जाएगा एवं किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। उक्त तिथि को संबंधित प्रखण्ड से उपस्थित होने वाले शिक्षकों का नाम एवं पता गोड्डा जिला के वेबसाइट पर अवलोकन हेतु *www.godda.nic.in/notices/announcements* में प्रकाशित किया गया है, जिसकी सूची जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका दिया गया है।

नोट- अधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित शिक्षक ही उक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

ज्ञापांक-1410/गोड्डा, दिनांक 28-9-18

प्रतिलिपि : प्रधानाध्यापक -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, म0वि0 गोड्डा बालक/म0वि0 पोड़ैयाहाट बालक/म0वि0 बसन्तराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट/बसंतराय/गोड्डा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से प्रभावित सभी शिक्षकों को निर्धारित तिथि को ससमय निर्धारित स्थल पर उपस्थित होने का आदेश देना चाहेंगे।

प्रतिलिपि : गठित कोषांग, गोड्डा का सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, गोड्डा का सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

Scanned by CamScanner